न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 29/2021

रामस्वरूप पुत्र जुहाराराम जाति नाई, निवासी भैसावता खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 99/2017 निर्णय दिनांक 05.03.2018

उपस्थितिः—

1 .श्री विनोद गिल, एडवोकेट ——————————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.03.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामस्वरूप मु0 नं0 99/2017 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — अदालत मातहत ने अपीलांट को गलत तथ्यों के आधारा पर धारा 91 भू राजस्व अधि0 का नोटिस दिया है तथा हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि गोबर, कुरडी, बाड़ व पक्का मकानात बनाकर अपीलार्थी मय परिवाार आबाद है। अपीलार्थी के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड ग्राम भैसावता खुर्द में नहीं है तथा ना ही कोई काश्त की भूमि है। अपीलार्थी के उक्त भूखण्ड में विधुत संबंध है तथा अपीलार्थी के पक्ष में सनद/पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है जो दिनांक 31.3.1997 को जारी किया गया था। उक्त पट्टा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के पश्चात जारी किया गया था, इसलिये अपीलार्थीया का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। अपीलार्थी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से आबाद है। उक्त पट्टा अपीलार्थी के नाम से जारी हुआ है। उक्त भूमि [illegible] अपीलार्थी पूर्वजों के समय से आबाद है तथा अपीलार्थी के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड नहीं है। अपीलार्थी के घर के पास सड़क बनी हुई है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। [illegible] कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

व्यक्ति पट्टे के आधार पर भूमि क्लेम करता है, उसको समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता है। राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक एफ/4/1 आर/ एचसी/ ग्राविप / अनुदान/91–92/53 जयपुर दिनांक 23.1.1992 के तहत भूमिहीन व्यक्तियों को सनद/पट्टा राजकीय भूमि में जारी किये गये। अपीलार्थी भूमिहीन व्यक्तियों की श्रेणी में आती है। उक्त परिपत्र के अनुसरण में अपीलार्थी के पक्ष में नियमन की कार्यवाही करनी चाहिये थी। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदर सिंघाना दिनांक 05.03.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही ड्रोप की जावे तथा परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के पक्ष में नियमन की कार्यवाही की जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि गोबर, कुरडी, बाड़ व पक्का मकानात बनाकर अपीलार्थी मय परिवार आबाद है। अपीलार्थी के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड ग्राम भैसावता खुर्द में नहीं है तथा ना ही कोई काश्त की भूमि है। अपीलार्थी के उक्त भूखण्ड में विधुत संबंध है तथा अपीलार्थी के पक्ष में सनद/पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है जो दिनांक 31.3.1997 को जारी किया गया था। उक्त पट्टा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के पश्चात जारी किया गया था, इसलिये अपीलार्थीया का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। अपीलार्थी सक्षम अधिकारी की अनुमति से आबाद है। उक्त पट्टा अपीलार्थी के नाम से जारी हुआ है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी पूर्वजों के समय से आबाद है तथा अपीलार्थी के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड नहीं है। अपीलार्थी के घर के पास सड़क बनी हुई है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है जहां कोई व्यक्ति पट्टे के आधार पर भूमि क्लेम करता है, उसको समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता है। राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक एफ/4/1 आर/ एचसी/ ग्राविप / अनुदान/91–92/53 जयपुर दिनांक 23.1.1992 के तहत भूमिहीन व्यक्तियों को सनद/पट्टा राजकीय भूमि में जारी किये गये। अपीलार्थी भूमिहीन व्यक्तियों की श्रेणी में आती है। उक्त परिपत्र के अनुसरण में अपीलार्थी के पक्ष में नियमन की कार्यवाही करनी चाहिये थी। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदर सिंघाना दिनांक 05.03.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही ड्रोप की जावे तथा परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के पक्ष में नियमन की कार्यवाही की जावे।

दौराने बहस पैरोकार स[illegible] द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीन[illegible]य नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीला[illegible] को सुनवाई का [illegible]चित अवसर प्रदान किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला [illegible]
झुन्झुनूं

निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में नायब तहसीलदार सिंघाना के निर्णय दिनांक 05.3.2018 की पालना में दिनांक 08.4.20221 को अपीलार्थी के आवास का छोड़ते हुये मौके से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड़ है जो नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2018 उनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप मु0नं0 99/2017 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:40 IST
Reason: SelfAttested